[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 30/2018- सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2018

सा.का.नि. (अ). जहां कि बंगलादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियान फैब्रिक और जूट सेकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, जिसे दिनांक 20 अक्तूबर, 2016 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड I में प्रकाशित किया गया था, के अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;
(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;
(iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;
(iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है;

और विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017 जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड ।।।, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/10/2017-डीजीएडी, दिनांक 01 जनवरी, 2018 जिसे दिनांक 01 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग I, खड I में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है

कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा का जब तक परिणाम नहीं आ जाता है, तब तक विषयगत वस्तु, जब इनका मूलत: उत्पादन और निर्यात बंगलादेश या नेपाल से मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. उत्पादक) और इनका भारत में आयात हुआ हो, तब तक अनंतिम आंकलन के अधीन समझी जाएंगी, जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

2. यह अनंतिम आंकलन उस प्रतिभूति या गारंटी के अधीन रहेगा जिसे कोई यथोचित सीमा शुल्क अधिकारी यह समझता हो कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा जांच के पूरा हो जाने पर, भूतलक्षी प्रभाव से लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क में यदि कोई कमी रह जाती है तो उस स्थिति में भुगतान किया जाना चाहिए ।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के उक्त समीक्षा कार्य को पूरा हो जाने पर सिफारिश किए गए प्रतिपाटन शुल्क की स्थिति में आयातकर्ता विषयगत वस्तुओं के सभी आयात पर, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात बंलादेश या नेपाल से मैसर्स जनता जूट मिल्स लि. (उत्पादक) द्वारा किया गया हो और इनका भारत में आयात हुआ हो, समीक्षा में सिफारिश किए गए और लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तारीख से करने के लिए दायी होगा ।

(फाइल संख्या 354/211/2016-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार